



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-58

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 130791 दिनांक 01/03/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	MADHAV KUMAR S/o SHIV LAL JI	श्री माधव कुमार पुत्र श्री शिवलाल	42	200.00 SQ. YARD	Private	SHIV SAGAR Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना शिव सागर के भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 200.00 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 01.12.10 को श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा के नाम जारी की गयी थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मीनू कटारिया पत्नी श्री देवेन्द्र बन्ना के नाम दिनांक 02.01.12 को जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती मीनू कटारिया द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 03.11.16 को सुश्री प्रिया



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कटारिया पुत्री श्री अरुण कुमार कटारिया को किया गया हैं। श्रीमती प्रिया कटारिया द्वारा उक्त भूखण्ड की पॉवर आफ अटोनी श्री अर्चित कटारिया पुत्र श्री अरुण कुमार कटारिया को किया गया हैं। जो कि टोरंटो देश से नोटरी से जारी हैं। तत्पश्चात श्री अचिन्त कटारिया बहैसियत मु.आम द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान अपंजिकृत इकरारनामा दिनांक 30.10.21 को एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.12.21 को श्री माधव कुमार पुत्र श्री शिवलाल को किया गया हैं।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. MADHAV KUMAR S/o SHIV LAL JI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004